13/22
21/10/22

फर्द अहकाम
(नियम 26)
अदालत –जिला कलक्टर,–मुकाम – भरतपुर
इकवाल बनाम राजस्थान सरकार
किस्म मुकदमा प्रा0पत्र सुपुर्दगी नम्बर 13 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
21.10.22	वकील प्रार्थी उपस्थित। सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी सुपुर्दगार ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि पुलिस थाना जुरहरा द्वारा एफ.आई.आर नं. 39/2021 अन्तर्गत धारा 3,4, 8 राजस्थान गौवंश अधिनियम में जप्त किये वाहन मोटरसाईकिल हीरो स्पलैण्डर प्लस नम्बर आरजे–02–बीक्यू–5927 को सुपुर्दगी में दिया जावे। कार्यालय रिपोर्ट का अवलोकन किया गया थानाधिकारी जुरहरा द्वारा उक्त वाहन से सम्बन्धित गोवंश अधिनियम की धारा 6ए के तहत कोई भी प्रकरण न्यायालय हाजा में पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 6'ए' प्रकरण के बिना प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी चलने योग्य नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी कार्यवाही इसी स्टेज पर खारिज की जाती है। प्रकरण धारा 6ए प्राप्त होने पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी पेश करने के लिये स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार हो बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज.)	